

परिशिष्ट-दो
प्रपत्र- 2(क)

E-mail deo-chp-edu-uk@nic.in दूरभाष/फैक्स- 05965-230814 05965-230531
पत्रांक- 3.45-62 / शि0का0340 / मान्यता / 2023-24 दिनांक 23 सितम्बर 2023

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
इंडस नेशनल स्कूल पाटी (01-08 तक)
जनपद- चम्पावत।

विषय-

निकुल एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 (2) के प्रयोजनार्थ निःशु
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधित) नियमावली 2013 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत अधिनिर
अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 17-05-2023 के क्रम में आपके विद्याल
नेशनल स्कूल पाटी (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत अधिनियम की अ
निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद चम्पावत में आपके विद्यालय के पंजी
संख्या UPS/40 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर
तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्येक
कार्यवाही की जायेगी।

नोट- प्रमाण-पत्र वर्ष 2022-2027 तक विधि मान्य होगा।

भवदीय,

(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
चम्पावत।

पृष्ठ/ 3.45-62 -
/ शि0का0340 / मान्यता / 2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिनिधि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड नमूरखेडा देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास चम्पावत।
6. सर्वोच्च खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।
7. कार्यालय सुरक्षित भण्डार।

PRINCIPAL

MANAGER

(आर0सी0 पुरोहित)

INDUS NATIONAL SCHOOL जिला शिक्षा अधिकारी (पा0शि0)